भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
(वाणिज्य विभाग)

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं० 2135

दिनांक 2 अगस्त, 2023 को उत्तर दिए जाने के लिए

निर्यात में गिरावट

2135 श्री रवनीत सिंहः

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि देश के निर्यात में गिरावट आई है;
(ख) यदि हां, तो विगत तीन वर्षों के दौरान तत्संबंधी माह–वार ब्यौरा क्या है;
(ग) देश से निर्यात की मात्रा में गिरावट के कारणों का ब्यौरा क्या है;
(घ) क्या सरकार देश में वस्तुओं के निर्यात की मात्रा में सुधार लाने के लिए कोई उपाय कर रही है; और
(ड.) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क) से (ग): भारत का समग्र निर्यात (व्यापारिक वस्तुएं और सेवाएं) वर्ष 2020–21 में 497.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढकर वर्ष 2021–22 में 676.53 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है, जिससे 35.88 प्रतिशत की सकारात्मक वृद्धि दर्ज हुई है और वर्ष 2022–23 में यह बढकर 776.30 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया, जिससे 14.75 प्रतिशत की सकारात्मक वृद्धि दर्ज हुई है। पिछले तीन वर्षों के दौरान भारत के समग्र निर्यात (व्यापारिक वस्तुएं और सेवाएं) का माह–वार मूल्य **अनुलग्नक** में दिया गया है।

(घ) और (ड.): सरकार ने भारत के माल के निर्यात को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित उपाय किए हैंः

(i) नई विदेश व्यापार नीति 31 मार्च, 2023 को लॉन्च की गई है और यह दिनांक 1 अप्रैल, 2023 से लागू है।

(ii) पूर्व एवं पश्च शिपमेंट रुपया निर्यात क्रेडिट पर ब्याज समकरण स्कीम को भी 31.03.2024 तक बढ़ाया गया है।

(iii) निर्यात को बढ़ावा देने के लिए कई स्कीमों नामतः निर्यात हेतु व्यापार अवसंरचना स्कीम (टीआईईएस) और बाजार अभिगम पहल (एमएआई) स्कीम के माध्यम से सहायता प्रदान की गई।

(iv) श्रम उन्मुख क्षेत्र निर्यात को बढ़ावा देने के लिए राज्य और केंद्रीय लेवी और करों में छूट (आरओएससीटीएल) स्कीम 07.03.2019 से लागू की गई है।

(v) निर्यातित उत्पादों पर शुल्क और करों की छूट (आरओडीटीईपी) स्कीम 01.01.2021 से कार्यान्वित की गई है। 15.12.2022 से, फार्मास्यूटिकल्स, कार्बनिक और अकार्बनिक रसायन और लोहे और इस्पात के सामान जैसे शामिल नहीं किए गए क्षेत्रों को आरओडीटीईपी के तहत कवर किया गया है। इसी तरह, 432 टैरिफ लाइनों में विसंगतियों को दूर कर दिया गया है और संशोधित दरों को 16.01.2023 से लागू कर दिया गया है।

(vi) व्यापार को सुविधाजनक बनाने और निर्यातकों द्वारा मुक्त व्यापार समझौता (एफटीए) के उपयोग को बढ़ाने के लिए उद्गम प्रमाणपत्र के लिए सामान्य डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है।

(vii) प्रत्येक जिले में निर्यात क्षमता वाले उत्पादों की पहचान करके इन उत्पादों का निर्यात करने के लिए अड़चनों को दूर करने और जिले में रोजगार सृजित करने के लिए स्थानीय निर्यातकों/विनिर्माताओं को सहायता प्रदान करने के लिए जिलों को निर्यात हब के रूप में लांच किया गया है।

(viii) भारत के व्यापार, पर्यटन, प्रौद्योगिकी और निवेश के लक्ष्यों को बढ़ावा देने हेतु विदेशों में भारतीय मिशनों की सक्रिय भूमिका में वृद्धि की गई है।

(ix) विदेश में स्थित वाणिज्यिक मिशनों, निर्यात संवर्धन परिषदों, पण्य बोर्डो/प्राधिकरणों और उद्योग संघों द्वारा नियमित रुप से निर्यात निष्पादन की निगरानी की जाती है और समय–समय पर सुधारात्मक उपाए किए जाते हैं।

****

अनुलग्नक

2 अगस्त 2023 को उत्तर दिए जाने हेतु लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 2135 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में संदर्भित विवरण

विगत तीन वर्षों के दौरान माह–वार समग्र निर्यात (व्यापारिक वस्तुएं और सेवाएं)

(मूल्य अमेरिकी मिलियन डॉलर में)

माह	2020-21	2021-22	2022-23
अप्रैल	26.62	48.81	63.75
मई	36.01	50.16	64.13
जून	39.03	52.79	69.20
जुलाई	40.81	54.87	62.60
अगस्त	39.27	53.84	63.52
सितंबर	44.84	55.42	64.61
अक्टूबर	41.50	56.10	56.95
नवंबर	40.70	52.47	61.87
दिसंबर	45.94	65.25	69.16
जनवरी	44.90	56.86	63.78
फरवरी	45.48	58.46	64.39
मार्च	56.05	71.52	72.34

स्रोतः डीजीसीआईएंडएस और आरबीआई

*****